FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 01/2024 अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम– 1955

मैसर्स ब्लेक स्टोन एग्रीगेट प्रा०लि० बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.06.2024	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री महीपाल सिंह दौराता ने स्वयं ने उपस्थित होकर पेश किया जो बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट लिये जाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना खेतड़ी के नाम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति सहित तहरीर जारी हो। मिसल वास्ते पेश होने जांच रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना खेतड़ी दिनांक 19.06.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी**	तहरीर 190 14.6.24
19.06.24	वकील प्रार्थी उपस्थित। जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं। P.O. महो० अन्य कार्य में व्यस्त है। मिसल वास्ते प्राप्त होने जाँच रिपोर्ट SHO-खेतड़ी दिनांक 25/06/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25.6.24	वकील प्रार्थी उपस्थित। SHO-खेतड़ी से उनके पत्रांक 2463 दिनांक 22/06/2024 से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अवलोकित प्रार्थी को गई। P.O. महो० अन्य कार्य में व्यस्त है। मिसल वास्ते [illegible] दिनांक 26/6/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम इस हुक्म तामील
On the behalf of I/O opinion no objection ADD PP 28/6/24	राजकीय अधिवक्ता को सुनवाई हेतु कूटेशन करें। नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। मिसल वास्ते अन्तिम आदेश 28.6.24 को पेश करें। 26/6/24	

28.0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित, जिनको सुना गया। राजकीय अधिवक्ता ने जब्तशुदा वाहन की सुपुर्दगी दिये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। प्रकरण बिना परमिट/लाईसेंस के डीजल का अवैध रूप से हरियाणा राज्य से राजस्थान में परिवहन किये जाने से सम्बन्धित है, जो तस्करी की श्रेणी में आता है। जब्तशुदा वाहन संख्या RJ18GC2449 की इंशोरन्स पॉलिसी नम्बर 33/325879771/00/000 के अनुसार वाहन की मालियत छ लाख साठ हजार रूपये है। लिहाजा जब्तशुदा वाहन की मालियत के समान बैंक गारण्टी एवं इतनी ही राशि का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर जब्तशुदा वाहन की सुपुर्दगी प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है। मिसल वास्ते पेश किये जाने बैंक गारण्टी एवं सुपुर्दगीनामा दिनांक 01.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)	
16.07.24	प्रार्थी की ओर से प्रा० पत्र पेश होने पर पत्रावली आज की पेशी में ली गई। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28-06-24 को प्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं. 1 खेतड़ी के समक्ष आपराधिक निगरानी सं. 41/2024 उनवानी मैसर्स ब्लेक स्टोन एग्रीगेट (इ०) लि० जरिये नियुक्त अधिकारी आदिल कुरेशी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य संस्थित की गई। माननीय न्यायालय ने प्रार्थी/निगरानीकार की उक्त निगरानी अपने निर्णय दिनांक 15-07-2024 से स्वीकार कर आदेश दिया है कि निगरानी कर्ता वाहन No-RJ18GC2449 को सुपुर्दगी पर लेने हेतु 6,60,000= (अंकन छः लाख साठ हजार रुपये) की राशि का स्वयं का सुपुर्दगीनामा व इसी राशि की एक मोतबिर व्यक्ति की जमानत (जमानतनामा) अधीनस्थ	Adul

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक करावें कि निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर वह अत वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, उसे बेचान नहीं करेगा, ना ही कोई भार उस पर आरोपित करेगा, उसे खुर्द बुर्द व नष्ट नहीं करेगा, उसके रंग-रोगन व उसके आकार प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तो उसे सुपुर्दगी पर प्रदान कर दिया जावे। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-07-24 की पालना में निगरानीकार प्रार्थी ने 6,60,000/- रुपये का सुपुर्दगीनामा व अनिल कुमार पुत्र S/O श्री गीरासिंह जाति जाट निवासी ओगटू त० चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज० 6,60,000/- रुपये का जमानतनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वाहन सं: RJ18GC2449 BOLERO PIKUP को निगरानीकार प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु SHO खेतड़ी के नाम तहरीर जारी हो। मिसल फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो।

तहरीर
248
16.07.2024
SHO. Khetri

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
16.07.2024